



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/193/2020-568

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 15/05/2026

विषय- श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा छपरा जिलान्तर्गत अंजनी मौजा के खाता संख्या-160, खेसरा संख्या-2126, अंचल-परसा में सीतलपुर-मकेर पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02124 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/BR/Approach/116799/2020/146, दिनांक 17.03.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव पर वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 05.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	अनुपालन
	FP/BR/Approach/116799/2020/146, दिनांक 17.03.2026 में निहित कंडिका	
A : Conditions which need to be complied prior to handing over		
1	The user agency shall transfer the cost of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 years) at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 7,01,773.00 (सात लाख एक हजार सात सौ तेहत्तर रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 150627300, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में दिनांक 05.05.2026 को फंड ट्रांसफर कर राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52026050526605465 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। 100 पौधों के रोपण का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जायेगा।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.02124 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.02124 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 20,343/- (बीस हजार तीन सौ तेतालीस रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.-150627300, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में दिनांक 05.05.2026 को फंड ट्रांसफर कर राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-SBINR52026050526605465 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.05.2026 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete	प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 05.05.2026 को जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan).....	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।

B. Condition which need to be strictly complied on field after handing over of

1	Legal Status of Forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2	The State Forest Department shall plant 100 tree to maintain the green cover at the project	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरान्त उक्त कार्यो को वन विभाग द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	(a) Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	(b) Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	(c) Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with ..	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

	(d) Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	(a) The forest land shall not be used for any purpose other than....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	(b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus..	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	(c) The forest land proposed to be diverted shall under no	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	The user agency and the State Government shall ensure compliance	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10	Any other conditions that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के आदेश संख्या-वन भूमि-10/2024-240(ई.), दिनांक 31.05.2024 के आलोक में अंतिम (Stage-II) स्वीकृति निर्गत करने हेतु राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/193/2020- 568

दिनांक- 15/05/2026

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा एवं श्री विनोद कुमार सिंह, ग्राम+पोस्ट-अंजनी,थाना-परसा, जिला-छपरा, पिन-841218 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना ।

दिनांक - 05.05.2026

विषय- श्री बिनोद कुमार सिंह द्वारा छपरा जिलान्तर्गत अंजनी मौजा के खाता संख्या - 160, खेसरा संख्या - 2126, अंचल - परसा में सीतलपुर - मकेर पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02124 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग-- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)--सह--नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) बिहार, पटना का पत्रांक 430, दिनांक 21.04.2026 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा का पत्रांक 983, दिनांक 28.04.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांतर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के पत्रांक FP/BR/Approach/116799/2020/146, दिनांक - 17.03.2026 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-10 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत समर्पित कर रहा हूँ।

भाग -A: Conditions which need to be complied prior to handing over the forest land by the State forest Department

1 हरितावरण को बनाये रखने हेतु 10 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि ₹ 7,01,773/- को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिए निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No.1506270116799685, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर दिनांक 05.05.2026 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-SBINR52026050526605465 है, जो Ministry Website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)

2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.02124 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये ₹9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल ₹ 20,343/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270116799685, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर दिनांक 05.05.2026 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52026050526605465 है, जो Ministry Website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनारोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 05.05.2026 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry Website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website -<http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।



श्री
86/1/1

भाग - B: condition which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of understanding shall be submitted prior of Stage -II approval:

1. उपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा ।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिए अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे ।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।
10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा ।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए ।

अनु० - यथोक्त

विश्वासभाजन

बिनोद कुमार सिंह

ग्राम + पोस्ट - अंजनी, थाना - परसा,

जिला - छपरा (सारण), बिहार, PIN - 841219.

Pay

Counter foil

SBI भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

Branch ... ANJANI - 08886

Date ... 05/05/2026

Received ₹ 722116=00

From BINOD KUMAR SINGH

For remittance of NEFT/RTGS by way of (i)

Transfer (only NEFT) (ii) Cash (only NEFT).

(iii) Cheque (NEFT/RTGS) using

Cheque No. ... 960030

favoring BIHAR CAMPA

Beneficiary A/c No. 1506270116799685

(Re-write) Beneficiary A/c No.

1506270116799685

IFSC Code ... UBIN0336335

Beneficiary Bank & Branch UNION BANK

OF INDIA, BENGALURU - 560027

Amount ₹ ... 722116=00

Bank's Charges ₹ ... 47=20

Total ₹ ... 722163=20

(Rupees Seven Lacs Twenty Two Thou.

and Sixty Three Paise Only)

For office Use

UTR No. ... Branch Manager

SBIINR 52026050526605465



AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India
अपे १९५१



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-05-2026

Agency Name.	SHRI BINOD KUMAR SINGH
Application No.	70116799685
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/116799/2020
Location.	BIHAR
Address.	Binod Kumar Singh, Vill+Po+ Anjani Thana Parsa Dist. ChhapraSaran
Amount(In Rs)	722116/-

Amount in Words :Seven Lakh Twenty-Two Thousand One Hundred and Sixteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270116799685 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India
अपे १९५१



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-05-2026

Agency Name.	SHRI BINOD KUMAR SINGH
Application No.	70116799685
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/116799/2020
Location.	BIHAR
Address:	Binod Kumar Singh, Vill+Po+ Anjani Thana Parsa Dist. Chhapra Saran
Amount(In Rs)	722116/-

Amount in Words :Seven Lakh Twenty-Two Thousand One Hundred and Sixteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270116799685 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBIN52026050526605465



कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु

FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली
द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 992 दिनांक 8-9-2021

प्रमाणित किया जाता है कि सारण जिला में प्रयोक्ता एजेंसी विनोद कुमार सिंह, मौजा-अंजनी, थाना-परसा, खाता सं-160, खेसरा सं-2126, थाना- नं-232, जिला- सारण द्वारा IOCL का रिटेल आउटलेट के रैखिक परियोजनान्तर्गत 0.02124 हे० वन भूमि का अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, छपरा के पत्रांक-42 दिनांक-12.01.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-354 दिनांक-08.04.2021 के द्वारा उल्लेख किया गया है कि 2011 की जनगणना में उक्त ग्राम में अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी शून्य है।

तदालोक में प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांव में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी शून्य है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
सारण वन प्रमंडल, छपरा

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सारण, छपरा

अपर प्रमाहता
सारण, छपरा

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा।

जापाक 992/आ० दिनांक 8-9-2021

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सारण, छपरा

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा।